सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 24, सोमवार, *शाके* 1947- सितम्बर 15, 2025 Bhadra 24, Monday, Saka 1947- September 15, 2025	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2025

संख्या प.8(ग)(78)नियम/डीएलबी/2025/11555 :-स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8(ग)(78) नियम/डीएलबी /2024/16443 दिनांक 19.12.2024 को निकाय के बोर्ड एवं निकाय स्तरीय समितियों की बैठक हेतु तारीखों का निर्धारण किया गया था। जिसके क्रम में निम्न प्रकार अधिसूचना जारी की जाती है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 (1) में नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक साठ दिवस के भीतर एक बार होने और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छः बैठके होने के प्रावधान है। मॉडल भवन विनियम 2025 के विनियम 11.3 में भवन मानचित्र समिति का गठन किया गया हैं। भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 7 (1) में निकाय स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रति माह आयोजित करने का प्रावधान है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु 10 में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस में ले-आउट प्लान समिति का कार्यवाही विवरण जारी होने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार निम्न प्रकार बैठकों का आयोजन किया जायें:-

1.	निकाय में गठित बोर्ड की बैठक	गत बैठक से प्रत्येक दूसरे माह की 20 तारीख (इससे अधिक बैठक रखने के लिए निकाय स्वतंत्र है)
2.	निकाय स्तरीय भवन मानचित्र समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 5 तारीख ।
3.	निकाय स्तरी भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 10 तारीख ।
4.	ले-आउट प्लान समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 30 तारीख ।

उपरोक्त दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में उक्त बैठके अगले कार्य दिवस को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
निदेशक।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।